



पेश की 04

7/8/24

वकील मम अभियो ने उपस्थित होकर विद्वांश
पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली तलब की गयी
वकील आर्षी ने विद्वांश आ पत्र के आधार पर/समा
आ पत्र को विद्वांश क्रिये जाने का निर्वेदन किया
जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा
वकील अभिवदी द्वारा विद्वांश आ पत्र पर No objection
के दस्तावेज प्रस्तुत किए। अवलोकन के पश्चात
आर्षी वकील मम विद्वांश आ पत्र के आधार
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फाँसल
आधार दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश
रुबल न्यायालय में सुनाया गया।



वकील
मम



वकील
मम

7.8

7/08/2024

उपरवण्ड अधिकारी
साँभर लेख